भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2722
जिसका उत्तर बुधवार, 4 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है

विधि आयोग

2722. श्री अर्जुन सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विधि आयोग की दोषपूर्ण अभियोजना (न्याय हानि) विधिक उपचार पर उनकी 277वीं रिपोर्ट की सिफारिशों का अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने उपर्युक्त रिपोर्ट में विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : भारत के विधि आयोग ने दोषपूर्ण अभियोजन (न्याय हत्या): विधिक उपचार पर तारीख 30.08.2019 को अपनी 227 वीं रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की है । गृह मंत्रालय ने कथन किया है कि भारत के विधि आयोग ने दोषपूर्ण अभियोजित व्यक्तियों के लिए क्षतिपूर्ति की सिफारिश की है । चूंकि, दांडिक विधि और दंड प्रक्रिया भारत के संविधान की 7 वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है, विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों की टिप्पणियां तारीख 16.10.2018 को और उसके अनुसरण में तारीख 28.02.2019 तथा तारीख 29.07.2019 के अनुस्मारक द्वारा मांगी गई है।

****